thereof and what measures have been taken to implement the same;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether it is a fact that the Union Government have formulated a scheme to mobilise resources exclusively for resolving this scheme; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) With a view to improving the working conditions and increasing the employment potential of women, Government have been implementing a scheme of financial assistance to voluntary organisations to take up action oriented projects. However, there is no sector specific scheme to resolve the problem of women labour working in Industrial, Agricultural and Super Bazar sector.

(b) to (e) Do not arise in view of the reply to (a) above.

कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना

1346. **श्री सोमपाल:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें इस नीति से सहमत नहीं हैं और वे अपने-अपने राज्यों में इन प्रतिबंधों को अभी भी बनाए हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और क्या सरकार ने इन राज्यों की ऐसी नीति के कारणों को जानने के लिए कोई प्रयास किया है;

(घ) क्या सरकार इन राज्यों को प्रतिबंध समाप्त करने के लिए सहमत कराने का कोई प्रयास कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 1993 में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को यह परामर्श दिया था कि खाद्यान्नों (गेहूं, चावल/धान और मोटे अनाज) पर से संचलन संबंधी सभी प्रकार के प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएं। फिलहाल गेहूं और मोटे अनाजों के लिए सम्पूर्ण देश एकल खाद्य जोन है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने या तो वहां लागू संचलन संबंधी प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं अथवा यह सूचित किया है कि उनके यहां खाद्यान्नों पर संचलन संबंधी प्रतिबंध नहीं है। इन तीन राज्यों में भी केवल धान/चावल के लिए संचलन संबंधी प्रतिबंध है। जम्मू और कश्मीर ने चावल की स्थानीय मोटी किस्म के संबंध में संचलन पर प्रतिबंध लगाया है ताकि राज्य में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पश्चिम बंगाल में केवल सांविधिक राशनिंग के अधीन कवर किए गए क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के क्षेत्रों में खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबंध है। राज्य सरकार महसूस करती है कि मूल्यों में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए ऐसे प्रतिबंध आवश्यक हैं। आंध्र प्रदेश सरकार खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबंध जारी रखना चाहती है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के लिए चावल की अधिकतम वसूली हो सके जिसके अधीन अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त दरों पर चावल वितरित किया जाता है।

(घ) से (च) संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रतिबंध समाप्त कर दें ताकि वे समूचे देश को एकल खाद्य जोन बनाने की राष्ट्रीय नीति की धारा में शामिल हो सकें।

Impact of Singareni strike on coal production

1347. SHRI N. GIRI PRASAD:
DR. BAPU KALDATE:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the impact of Singareni Collieries strike on efforts by Coal India Limited for increasing the production capacity